

National Stock Exchange of India Limited

Circular

DEPARTMENT: INSPECTION	
Download Ref No: NSE/INSP/60261	Date: January 15, 2024
Circular Ref. No: 06/2024	

To All Members,

Sub: Gazette Notification - Updates in Section 35 of UAPA, 1967

SEBI has shared a copy of the Gazette Notification in respect of 2 individuals, who have been declared as 'Terrorist' and have been listed in the Fourth Schedule of the UA(P) Act, 1967 under Section 35(1)(a) of the UA(P) Act 1967.

The aforesaid Gazette Notification is enclosed as Annexure for ready reference. In this regard, members are advised to take note of the above and comply.

For and on behalf of
National Stock Exchange of India Limited

Kapil Marwah
Associate Vice President

In case of any clarifications, Members may contact our below offices:

Regional Office	CONTACT NO.	E MAIL ID
Ahmedabad (ARO)	079-49008632	inspectionahm@nse.co.in
Chennai (CRO)	044- 66309915/17	inspection_cro@nse.co.in
Delhi (DRO)	011-23459127 / 38 / 46	delhi_inspection@nse.co.in
Kolkata (KRO)	033-40400412 / 59	inspection_kolkata@nse.co.in
Mumbai (WRO)	022-26598200 / 022-61928200	compliance_wro@nse.co.in
Central Help Desk	compliance_assistance@nse.co.in	

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122023-250971
CG-DL-E-29122023-250971

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5258]
No. 5258]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5491(अ).—विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रिया-कलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने के लिए और संबद्ध विषयों का उपबन्ध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और, लखवीर सिंह उर्फ लांडा, पुत्र निरजंन सिंह और परमिंदर कौर, जिसका जन्म 24.08.1989 को हुआ है और जिसका स्थाई पता ग्राम व डाकघर हरिके, जिला तरनतारन, पंजाब है और जो इस समय एडमंटन, अल्बर्टा, कनाडा में रह रहा है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबंधित है ;

और, बब्बर खालसा इंटरनेशनल उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या एक पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और, उक्त लखबीर सिंह उर्फ लांडा को, सीमा पार के अभिकरण द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, वह कन्धे पर रखकर चलाए जाने वाले राकेट नोदित ग्रनेड द्वारा मोहाली स्थित पंजाब राज्य आसूचना मुख्यालय के भवन पर आतंकवादी हमले में सम्मिलित था ;

और, उक्त लखबीर सिंह उर्फ लांडा पंजाब राज्य, भारत में आतंकवादी क्रियाकलापों को करने के लिए सीमा पार से परिष्कृत विस्फोटक युक्तियों (आईईडी), शस्त्रों, उन्नत हथियारों, विस्फोटकों की विभिन्न माडयूलों को पूर्ती में सम्मिलित रहा है ;

और, उक्त लखबीर सिंह उर्फ लांडा, आतंकवादी मोड्यूलों को तैयार करने, फिरौती, हत्याओं, आईईडी लगाने, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी तथा उनसे प्राप्त निधियों या आगतों का पंजाब राज्य और देश के अन्य भागों में आतंकवादी कार्यकलापों में उपयोग करने से संबन्धित आपराधिक मामलों में भी सम्मिलित रहा है ;

और, उक्त लखबीर सिंह उर्फ लांडा तथा उसके सहयोगी, लक्ष्मियत हत्याएं, फिरौती तथा भारत के विभिन्न भागों में अन्य राष्ट्र विरोधी कार्यकलाप करके पंजाब राज्य में शांति, विधि तथा व्यवस्था को भंग करने के लिए षडयंत्र कर रहे हैं ;

और, उक्त लखबीर सिंह उर्फ लांडा के विरुद्ध एक बिना समाप्ति तारीख का वारंट जारी किया गया है और उक्त लखबीर सिंह उर्फ लांडा तारीख 09.06.2021 के निगरानी (लुक आउट) परिपत्र संख्या 2144306 के भी अधीन है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि लखबीर सिंह उर्फ लांडा, आतंकवाद में सम्मिलित है और लखबीर सिंह उर्फ लांडा, को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अधीन एक आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्र. संख्यांक 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“55. लखबीर सिंह उर्फ लांडा”।

[फा.सं. 11034/17/2022/सी टी-1]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 709(अ), तारीख 17 फरवरी, 2023 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2023.

S.O. 5491(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Lakhbir Singh @ Landa son of Niranjan Singh and Parminder Kaur, born on 24.08.1989, having permanent residence at VPO Harike, District Tarn Taran, Punjab and presently residing in Edmonton, Alberta, Canada belongs to Babbar Khalsa International;

And whereas, Babbar Khalsa International is listed as a terrorist organisation at serial number 1 of the First Schedule to the said Act;

And whereas, the said Lakhbir Singh @ Landa backed by cross border agency was involved in the terror attack through shoulder mounted Rocket Propelled Grenade on the building of Punjab State Intelligence Headquarter at Mohali;

And whereas, the said Lakhbir Singh @ Landa has been involved in supply of Improvised Explosive Devices (IEDs), arms, sophisticated weapons, explosives from across the border to various modules for carrying out terrorist activities in the State of Punjab, India;

And whereas, the said Lakhbir Singh @ Landa has also been involved in various criminal cases related to raising of terror modules, extortion, killings, planting IEDs, smuggling of weapons and narcotics and using funds or proceeds thereof for terrorist acts in the State of Punjab and other parts of the Country;

And whereas, the said Lakhbir Singh @ Landa and his associates have been conspiring to disrupt the peace, law and order in the State of Punjab by carrying out targeted killings, extortions and other anti-national activities in different parts of India;

And whereas, an open ended warrant has been issued against the said Lakhbir Singh @ Landa and the said Lakhbir Singh @ Landa is a subject of Look Out Circular No. 2144306 dated 09.06.2021;

And whereas, the Central Government believes that Lakhbir Singh @ Landa is involved in terrorism and the said Lakhbir Singh @ Landa is to be added as a terrorist in the Fourth Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, in the Fourth Schedule, after serial number 54 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“55. Lakhbir Singh @ Landa”.

[F.No. 11034/17/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O. 709(E), dated the 17th February, 2023.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012024-251023
CG-DL-E-01012024-251023

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 2024/पौष 11, 1945

No. 02]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 2024/PAUSHA 11, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2024

का.आ. 02(अ).—विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रिया-कलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और, सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, पुत्र समशेर सिंह और प्रीतपाल कौर, जिसका जन्म 11.04.1994 को हुआ है और जिसका स्थाई पता मकान संख्या 970/2, आदेश नगर, गली नंबर 3, श्री मुक्तसर साहेब सिटी पंजाब है और जो इस समय ब्राम्पटन, कनाडा में रह रहा है, का बम्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ संबद्ध है ;

और, बम्बर खालसा इंटरनेशनल उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 1 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और, उक्त सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, जो कि सीमा पार के अभिकरण द्वारा समर्थित है, अनेक हत्याओं में सम्मिलित है और कट्टरपंथी विचारधारा को मानता है, राष्ट्रवादी नेताओं को धमकी भरे फोन करने में शामिल है, फिरौती की मांग करता है और विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर हत्याओं के दावों को पोस्ट करता है ;

और, उक्त सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ड्रोन के माध्यम से सीमा-पार से उच्च श्रेणी के शस्त्रों, गोला बारूद तथा विस्फोटक सामग्रियों की तस्करी में तथा हत्याएं करने के लिए उनकी आपूर्ति करने में और शार्प शूटरों को भी उपलब्ध कराने में सम्मिलित रहा है ।

और, उक्त सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ तथा उसके सहयोगी विध्वंसक कार्य-कलापों, आतंकवादी माड्यूल तैयार करने, लक्ष्यित हत्याएं करने और अन्य राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों सहित अपने कुटील इरादों के माध्यम से पंजाब राज्य में शांति, सामुदायिक सौहार्द और विधि तथा व्यवस्था को भंग करने के लिए षडयंत्र कर रहे हैं ;

और, उक्त सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के विरुद्ध इंटरपोल, महासचिवालय (आईपीएसजी), लियोन, फ्रांस द्वारा रेड कार्नर नोटिस संख्या ए-4588/6-2022 जारी किया गया है;

और, उक्त सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के विरुद्ध तारीख 12.12.2022 का गैर जमानती वारंट जारी किया गया है तथा उक्त सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ तारीख 15.06.2022 के निगरानी (लुक आउट) परिपत्र संख्या 2245381 के भी अधीन है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ आतंकवाद में सम्मिलित है और सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अधीन एक आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्र. संख्यांक 55 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"56. सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़"।

[फा. सं.11034/01/2023/सी टी-1]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण: विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का. आ. 5491(अ), तारीख 29.12.2023 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2024

S.O. 02(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar son of Shamsher Singh and Preetpal Kaur born on 11.04.1994 having permanent address at House No. 970/2, Adesh Nagar, Street No. 3, Sri Muktsar Sahib City, Punjab and presently residing in Brampton, Canada is associated with Babbar Khalsa International;

And whereas, Babbar Khalsa International is listed as a terrorist organisation at serial number 1 of the First Schedule to the said Act;

And whereas, the said Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar backed by cross border agency was involved in multiple killing and professes radical ideology, figured in making threatening calls to pro-nationalist leaders, demanding ransom and posting the claims of killings on different social media platforms;

And whereas, the said Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar has been involved in smuggling of high-grade arms, ammunitions and explosive materials through drones from across the border and supplying thereon for carrying out killings and also providing sharp shooters;

And whereas, the said Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar and his associates have been conspiring to disrupt the peace, communal harmony and law and order in the State of Punjab through nefarious designs including sabotage, raising of terror modules, carrying out targeted killings, and other anti-national activities;

And whereas, Red Corner Notice No. A-4588/6-2022 has been issued against the said Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar by INTERPOL Secretariat General (IPSG), Lyon, France

And whereas, a non-bailable warrant dated 12.12.2022 has been issued against the said Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar and the said Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar is a subject of Look Out Circular No. 2245381 dated 15.06.2022;

And whereas, the Central Government believes that Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar is involved in terrorism and the said Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar is to be added as a terrorist in the Fourth Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, in the Fourth Schedule, after serial number 55 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“56.Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar ”.

[F. No. 11034/01/2023/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:- The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O. 5491(E), dated the 29th December, 2023.